न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

निगरानी संख्या– 114/2009–10

ग्राम सभा शंकरपुर हकुमतपुर

–बनाम–

श्री तसलीम

अधिवक्ता निगरानीकर्ता ग्राम सभा : श्री सुबोध कुमार शर्मा, जिला शासकीय अधिवक्ता(राज0)

अधिवक्ता उत्तरदाता : श्री एम0एस0 पंवार।

उपस्थितिः श्री सुभाष कुमार, आई0ए0एस0 अध्यक्ष।

बावत
मौजा शंकरपुर हकुमतपुर,
परगना पछवादून, तहसील विकासनगर
जनपद–देहरादून।

निर्णय

यह निगरानी उप जिलाधिकारी, विकासनगर द्वारा विविध वाद संख्या–शून्य वर्ष 2007 अन्तर्गत धारा–33/39 भू–राजस्व अधिनियम तसलीम बनाम ग्रामसभा शंकरपुर हकुमतपुर में पारित निर्णयादेश दिनांक 05–05–2007 एवं पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र संख्या– 5 वर्ष 2009–10 तसलीम बनाम ग्रामसभा में पारित निर्णयादेश 05–04–2010 के विरूद्व योजित की गई है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि के बावत प्रतिपक्षी तसलीम ने सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, विकासनगर को इस आशय का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–33/39 भू–राजस्व अधिनियम दिनांक 28–03–2007 प्रस्तुत किया कि प्रार्थी पुराने खसरा नम्बर 463 रकबा 0.2020 है0 जिसका नया खसरा नम्बर 36ग रकबा 0.2020 है0 है का संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर काश्तकार है। सर्वे की कार्यवाही के दौरान प्रार्थी को पुराने खसरा नम्बर 463 का नया खसरा नम्बर 36ग आवंटित किया गया है जबकि प्रार्थी के कब्जे में खसरा नम्बर 2743क है जिसपर आवंटन के समय से प्रार्थी लगातार काश्त करता चला आ रहा है, आवंटित किया जाना चाहिए था लेकिन त्रुटिवश खसरा नम्बर 36ग आवंटित कर दिया गया है जो कि गलत है। खसरा नम्बर 2743 पर ग्रामसभा का नाम दर्ज है जिससे उसका नाम खारिज कर प्रार्थी के नाम दर्ज किया जाय। उप जिलाधिकारी, विकासनगर ने लेखपाल एवं तहसीलदार से आख्या प्राप्त की। प्राप्त आख्या के आधार पर उप जिलाधिकारी, विकासनगर ने अपने आदेश दिनांक 05–05–2007 से प्रतिपक्षी तसलीम को खसरा नम्बर 36ग के स्थान पर खसरा नम्बर 2743क आवंटित किया गया। इस आदेश के विरूद्व श्री अब्दुल समद एवं मौहम्मद हसन ने पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक 19–06–2008 प्रस्तुत किया कि

तसलीम को आवंटित खसरा नम्बर 2743क जोहड श्रेणी–6(1) ग्रामसभा के नाम दर्ज भूमि है। बिना ग्रामसभा के प्रस्ताव पास किये आदेश दिनांक 05–05–2007 से जोहड़ अंकित श्रेणी 6(2) भूमि को श्रेणी 5 अन्य बंजर में दर्ज करते हुए उक्त भूमि को तसलीम के नाम अंकित करने के आदेश पारित किए गए हैं। प्रार्थी तसलीम द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–33/39 भू–राजस्व अधिनियम की परिधि में नहीं आता है। तसलीम को आंवटित उक्त जोहड़ समस्त ग्रामवासियों के उपयोग में लाया जाता रहा है जिससे ग्रामीणों के जानवर पानी पीते रहे हैं। विधि के अनुसार जोहड़ बन्द नहीं किया जा सकता है। अतः उक्त आदेश दिनांक 05–05–2007 निरस्त किया जाय। सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, विकासनगर ने अपने निर्णयादेश दिनांक 05–04–2010 से प्रार्थीगण का पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक 19–06–2008 निरस्त किया गया। उप जिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, विकासनगर के आदेशों दिनांक 05–05–2007 एवं 05–04–2010 के विरूद्व यह निगरानी इस न्यायालय में योजित की गई है।

नियत तिथि पर निगरानीकर्ता ग्रामसभा की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व) उपस्थित थे परन्तु प्रतिपक्षी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ जिसके फलस्वरूप अधिवक्ता निगरानीकर्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई। नियत तिथि के उपरान्त अधिवक्ता प्रतिपक्षी की ओर से निगरानी में अपनी लिखित बहस प्रस्तुत की गई जिसे न्यायहित में पत्रावली पर ग्रहण किया जाता है।

निगरानीकर्ता ग्रामसभा की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व) का तर्क है कि प्रतिपक्षी के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार से आख्या प्राप्त की गई जिसपर तहसीलदार ने इस आशय की आख्या प्रेषित की कि भूमि प्रबन्धक समिति के अध्यक्ष की सहमति या प्रस्ताव की प्रमाणित प्रति लेकर जोहड भूमि का श्रेणी परिवर्तन कर तबादला किया जा सकता है। जोहड़ के नाम अंकित भूमि खसरा नम्बर2743 के किसी भी भाग पर उत्तरदाता का कभी भी कब्जा नहीं रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना ग्रामसभा के प्रस्ताव पास किये तथा बिना सूचना दिये ही आदेश दिनांक 05–05–2007 से जोहड़ अंकित श्रेणी–6(2) भूमि को श्रेणी–5 अन्य बंजर में दर्ज करते हुए उक्त भूमि को उत्तरदाता के नाम अंकित करने व उत्तरदाता की उक्त भूमि ग्रामसभा के नाम अंकित करने के आदेश विधि विरूद्व पारित किये। पत्रावली से स्पष्ट है कि वादी/उत्तरदाता को पुराना खसरा नम्बर 463 जिसका नया खसरा नम्बर 36ग बना आंवटित की गई थी तथा खसरा नम्बर–2743 वर्ग–6(2) जोहड़ अंकित है सर्वेक्षण प्रकिया के दौरान नवनिर्मित अभिलेखों में कोई त्रुटि नहीं हुई थी जिस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्त होने योग्य था लेकिन उक्त आदेश द्वारा धारा–161 जमींदार विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत आदेश पारित कर दिये। धारा–33/39 भू–राजस्व अधिनियम में बिना भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव पारित हुए आदेश पारित किया गया जो त्रुटिपूर्ण है और जोहड के नाम अंकित भूमि को धारा–161 में विनिमय करने अथवा श्रेणी परिवर्तन नहीं किया

जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय ने पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि पूर्व पारित आदेश धारा–33/39 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पारित किया गया है जिसको सुनने का क्षेत्राधिकार उनको नहीं है जबकि अधीनस्थ न्यायालय को पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र को सुनने का पूर्ण अधिकार था। विधि का यह प्रतिपादित सिद्वान्त है कि जोहड सार्वजनिक उपयोग की भूमि है तथा ऐसी भूमि को आवंटित नहीं किया जा सकता है यहाँ तक कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति को भी जोहड भूमि पर लाभ नहीं दिया जा सकता न ही जोहड की भूमि का विनिमय किया जा सकता है तथा यदि जोहड समतल हो जाये तो भी वह तालाब ही रहेगा तथा उसका आवंटन नहीं किया जा सकता। जिला शासकीय अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय ने वाद को पंजीकृत किए बिना ही उपयोग विनिमय के आदेश पारित कर दिये और आदेश की प्रतिलिपि भी दिए जाने से इस कारण इन्कार कर दिया कि वाद पंजीकृत नहीं है। प्रधान द्वारा स्वंय की हैसियत से निगरानी प्रस्तुत करने का जहां तक प्रश्न है तो निगरानीकर्ता द्वारा अपने शपथ पत्र के पैरा–2 में भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव के आधार पर निगरानी प्रस्तुत करने का उल्लेख किया है जिसकी पुष्टि में भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव दिनांक 16–12–2009 की प्रमाणित प्रति भी प्रस्तुत की गई। तहसील आख्या से सिद्व है कि राजस्व अभिलेखों में कोई त्रुटि नहीं थी। अवर न्यायालय के आदेश दिनांक 05–05–2007 एवं 05–04–2010 निरस्त होने योग्य हैं। अपने कथनों के समर्थन में जिला शासकीय अधिवक्ता(राजस्व) ने एस0एल0पी0(सी0) संख्या–3109 निर्णीत दिनांक 28–01–2011 मा0 उच्चतम न्यायालय, आर0एल0टी0 2011 पृष्ठ–479, आर0डी0 1988 पृष्ठ–80, आर0डी0 1995 पृष्ठ–36, आर0डी0 1998(89) पृष्ठ–330, आर0डी0 1989 पृष्ठ–157, आर0डी0 1993 पृष्ठ–195 मा0 उच्च न्यायालय, आर0डी0 1994 पृष्ठ–411, आर0डी0 2001 पृष्ठ–18 व 392, आर0डी0 2001(92) पृष्ठ–689 मा0 उच्चतम न्यायालय, आर0एल0टी0 1999 पृष्ठ–264, जनहित याचिका संख्या–42/12 महेन्द्र सिंह बनाम राज्य आदेश दिनांक 04–03–2014, रा0नि0सं0 1999 पृष्ठ–173 मा0 उच्चतम न्यायालय, आर0डी0 1987 पृष्ठ–416 मा0 उच्चतम न्यायालय, आर0डी0 2005(99) पृष्ठ–640 मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, आर0ढी0 2005 सप्ली0 पृष्ठ–717, रा0नि0सं0 2002 पृष्ठ–462, रा0नि0सं0 1993 पृष्ठ–74, आर0डी0 1991 पृष्ठ–360, आर0एल0टी0 1998 पृष्ठ–359, आर0डी0 1998(89) पृष्ठ–80, रा0नि0सं0 2000 पृष्ठ–543 एवं रा0नि0सं0 1991 पृष्ठ–373 की विधिक व्यवस्थायें भी प्रस्तुत की गईं।

प्रतिउत्तरदाता की ओर से अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थी को वर्ष 1985–86 में ग्रामसभा द्वारा पट्टा दिया गया था। प्रार्थी उक्त भूमि में लगातार काश्त कर रहा है। प्रार्थी अनपढ़ होने के कारण भूमि के खसरा नम्बरों के बारे में जानकारी नहीं रखता है। ग्रामसभा को उक्त निगरानी योजित करने का अधिकार प्राप्त नहीं है क्योंकि निगरानीकर्ता ने अधीनस्थ न्यायालय **में** आदेश दिनांक 05–05–2007 को निरस्त करने हेतु कोई पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र

नहीं दिया है इसलिए निगरानीकर्ता को निगरानी दाखिल करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए भूमि प्रबन्धक समिति का प्रस्ताव पारित होना चाहिए था जो कि नहीं हुआ। प्रतिउत्तरदाता के कब्जे वाली काश्त की भूमि खसरा नम्बर 2743क के पीछे अब्दुल समद व मौहम्मद हसन की भूमि है जो प्रतिउत्तरदाता की भूमि से अपनी भूमि पर आने–जाने के लिए रास्ता चाहते हैं। जो भूमि प्रतिउत्तरदाता के कब्जे में है, लेखपाल के द्वारा बताया गया कि उक्त भूमि का खसरा नम्बर 2743 है। उक्त भूमि जौहड़ की मेंढ़ है जो जौहड़ से मिलती है तथा जौहड़ आज भी कायम है जिस पर पानी है। निगरानीकर्ता की निगरानी निरस्त होने योग्य है और अवर न्यायालय के आदेशों में कोई त्रुटि नहीं है। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता प्रतिउत्तरदाता ने आर0डी0 2009 पृष्ठ–14, आर0डी0 1978 पृष्ठ–273 एवं ए0आई0आर0 1979 पृष्ठ 621 मा0 उच्चतम न्यायालय की विधिक व्यवस्थायें भी प्रस्तुत की।

इस प्रकरण में प्रतिउत्तरदाता ने अवर न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिनांक 02–01–2007 इस आशय का प्रस्तुत किया था कि उसे ग्रामसभा द्वारा वर्ष 1985–86 में पट्टा आवंटित किया गया था जिसपर प्रार्थी काश्त कर रहा है। प्रार्थी के अनपढ होने के कारण उसे भूमि के खसरा नम्बरों की जानकारी नहीं है। प्रार्थी को हल्का लेखपाल द्वारा बताया गया कि जिस भूमि पर प्रार्थी को कब्जा दिया गया है उसका खसरा नम्बर 2743 है और जिस भूमि पर प्रार्थी का नाम दर्ज है उसका खसरा नम्बर–36ग है। प्रतिउत्तरदाता ने उसको आवंटित भूमि खसरा नम्बर 36ग को निरस्त कर उसे कब्जे वाली भूमि खसरा नम्बर 2743 हस्तान्तरित किए जाने का अनुरोध किया गया। उप जिलाधिकारी, विकासनगर ने प्रार्थी उत्तरदाता के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार, विकासनगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त की। तहसीलदार, विकासनगर ने अपनी आख्या दिनांक 26–04–2007 में उल्लेख किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र उसको प्राप्त पट्टे की भूमि को कब्जे के आधार पर अभिलेखों में अंकित किए जाने विषयक है। प्रार्थी को पट्टा खसरा संख्या–463 पर दिया गया जबकि प्रार्थी का कब्जा खसरा संख्या–2743 पर है जो कि जोहड श्रेणी की भूमि है। अवर न्यायालय की वाद पत्रावली के पेपर नम्बर–3/13 से 3/14 पर उपलब्ध लेखपाल/तहसीलदार, विकासनगर की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया है कि आवंटन स्वीकृति खसरा संख्या–463 पर है और खसरा संख्या–2743 पर कोई आवंटन स्वीकृत नहीं है जिस कारण बिना पूर्व आवंटन निरस्त किए व पुनः आवंटन प्रस्ताव तैयार किये कब्जे के आधार पर भूमि अभिलेखों में दर्ज किया जाना सम्भव नहीं है। प्रश्नगत भूमि खसरा नम्बर 2743 क वर्तमान में जोहड़ जलमग्न भूमि के रूप में दर्ज है, चूँकि प्रार्थी कब्जे के आधार पर भूमि का तबादला चाहता है इसलिए भूमि के तबादले में ग्रामसभा की सहमति लेकर भूमि की श्रेणी परिवर्तन किया जा सकता है। उप जिलाधिकारी, विकासनगर ने अपने निर्णयादेश दिनांक 05–05–2007 से भूमि की श्रेणी 6(2) से परिवर्तित करते हुए वर्ग–5 अन्य बंजर में दर्ज किए जाने एवं खसा

नम्बर–2743क पर प्रतिउत्तरदाता तसलीम का नाम दर्ज अभिलेख किए जाने के आदेश पारित किए गए। तहसीलदार की प्रश्नगत रिपोर्ट 26–04–2007 से यह स्पष्ट होता है कि तहसीलदार ने अपनी आख्या में भूमि को ग्रामसभा की सहमति लेकर ही भूमि का श्रेणी परिवर्तन किए जाने की संस्तुति की गई थी। परन्तु उप जिलाधिकारी, विकासनगर ने तहसीलदार की आख्या को नजरअन्दाज करते हुए वादग्रस्त भूमि की श्रेणी परिवर्तन धारा–33/39 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत कर दिया जो कि त्रुटिपूर्ण है। भू–राजस्व अधिनियम की धारा–33/39 में स्पष्ट प्राविधान है कि अधिनियम की इस धारा के अन्तर्गत लिपिकीय त्रुटि अथवा बन्दोबस्त के दौरान हुई अभिलेखीय त्रुटियों को ही दुरुस्त किया जा सकता है। प्रकरण के प्रथम दृष्टया अवलोकन से ही यह स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण भू–राजस्व अधिनियम की धारा–33/39 के अन्तर्गत पोषणीय ही नहीं था। तहसीलदार की रिपोर्ट एवं अभिलेखों से यह भी स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि ग्रामसभा की सार्वजनिक उपयोग की भूमि है। जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा–161 में यह स्पष्ट प्राविधानित किया गया है कि सार्वजनिक प्रयोगों के लिए आरक्षित गाँव सभा की भूमि से विनिमय अनुमन्य नहीं है जबकि उप जिलाधिकारी ने प्रश्नगत आदेश दिनांक 05–05–2007 से भूमि की श्रेणी परिवर्तन भू–राजस्व अधिनियम की धारा–33/39 के अन्तर्गत कर दिया जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। निगरानीकर्ता राज्य सरकार की ओर से प्रस्तुत विधिक व्यवस्था 1999 र0ल0ट0 264 राजस्व परिषद इलाहाबाद एवं आर0डी0 1995 पृष्ठ–36 में दिये गये न्यायिक दृष्टान्तों में भी सार्वजनिक उपयोग हेतु सुरक्षित भूमि का विनिमय अस्वीकार किया गया है। सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, विकासनगर द्वारा पूर्व पारित आदेश दिनांक 05–05–2007 के विरूद्व प्रस्तुत पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र को भी मात्र क्षेत्राधिकार के तहत न होने के आधार पर निरस्त कर दिया गया जो विधि में दी गई व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आलोक में निगरानीकर्ता की निगरानी बलयुक्त होने के कारण स्वीकार किए जाने एवं अवर न्यायालय के आक्षेपित आदेश दिनांक 05–05–2007 एवं 05–04–2010 निरस्त किए जाने योग्य है।

निगरानी बलयुक्त होने के कारण स्वीकार की जाती है एवं उप जिलाधिकारी/सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, विकासनगर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05–05–2007 एवं 05–04–2010 निरस्त किए जाते हैं।

दिनांकः 5 जुलाई, 2014

(सुभाष कुमार)
अध्यक्ष,
राजस्व परिषद।